



# VISITOR CARE

*Manaaki manuhiri*

HUMANITARIAN SUPPORT FOR FOREIGN NATIONALS



## गोपनीयता के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**क्या मेरे आवेदन से मेरी भविष्य की वीसा संभावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है?**

नहीं। आप हमें जो जानकारी देते हैं, उसका उपयोग केवल इस सहायता के लिए ही किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग करने से आपकी वर्तमान या भविष्य की वीसा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**मेरे द्वारा सहायता के लिए आवेदन करने पर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी का क्या होता है?**

जब आप डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स यानि आंतरिक मामलों के विभाग (DIA) के माध्यम से आवेदन करने में सफल होते हैं, तो आपकी जानकारी को न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस के पास सहायता का प्रबन्ध करने के लिए भेज दिया जाएगा। दोनों पार्टियां प्राइव्सी एक्ट (गोपनीयता अधिनियम) 1993 के अनुसार आपकी व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहीत और सुरक्षित रखेंगी। केवल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग उस उद्देश्य के लिए ही करेंगी जिसके लिए वह जानकारी दी गई थी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्राइव्सी स्टेटमेंट (गोपनीयता कथन) को देखें।

**वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां मेरी जानकारी किसी अन्य एजेंसी (DIA या रेडक्रॉस के अलावा) के साथ साझा की जाएगी?**

न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस और DIA केवल इस वेबसाइट के माध्यम से हमें प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करेंगे जिसके लिए वह प्रदान की गई थी (उदाहरण के रूप में सहायता के लिए किए गए आपके आवेदन की जांच, उसका प्रबन्ध, मूल्यांकन करने और वेबसाइट, तथा हमारी सेवाओं में सुधार करने के लिए), और अन्य ऐसे कारणों के लिए जहां गोपनीयता अधिनियम 1993 इसकी अनुमति देता है (यानी आपकी सहमति के साथ, सीधे संबंधित उद्देश्य के लिए, या जहां कानून अनुमति देता है या इसकी जरूरत होती है)।

**क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वीसा चेकिंग सिस्टम (वीसा जांच प्रक्रिया) मेरी जानकारी को बचा कर नहीं रखता है या इमीग्रेशन न्यूज़ीलैंड को सचेत नहीं करता है?**

[वीसा सत्यापन सेवा](#) जिसका उपयोग आवेदक की वीसा जानकारी को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाएगा कि क्या आप सहायता के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। यह सेवा और इस सेवा के माध्यम से प्रकट जानकारी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

सारी जानकारी का प्रबन्ध गोपनीयता अधिनियम 1993 के अनुसार किया जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जानकारी का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए आपने इसे प्रदान किया था।



Working with the  
**New Zealand Government**

## क्या मुझे कभी इस पैसे को वापस देना होगा?

नहीं। आपको यह सहायता वापस भुगतान करने की उम्मीद किए बिना दी जाती है।

## मेरे पास वैध वीसा नहीं है। क्या आप मेरी जानकारी अन्य संस्थाओं को देंगे?

नहीं।

आप आवेदन करने से पहले [covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/covid-19-financial-support-tool/](https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/covid-19-financial-support-tool/) वेबसाइट पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं।

## मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कैसे किया गया है। मुझे क्या करना चाहिए?

आप 0800 RED CROSS पर न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप गोपनीयता से संबंधित किसी भी चिंता के लिए हमारी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्राइवैसी कमिश्नर (गोपनीयता आयुक्त) से सम्पर्क कर सकते हैं:

Office of the Privacy Commissioner  
PO Box 10-094 Wellington, New Zealand  
Phone: 04 474 7590  
Enquiries Line (from Auckland): 09 302 8655  
Enquiries Line (from outside Auckland): 0800 803 909  
Fax: 04 474 7595  
Email: [enquiries@privacy.org.nz](mailto:enquiries@privacy.org.nz)



Working with the  
**New Zealand Government**